

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 218/2015

दायर दिनांक 27.11.2015

वादी	प्रतिवादीगण
<p>1. रामुराम पुत्र खेमाराम, उम्र-58साल, जाति-मेघवाल, निवासी-खाखोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>1. धूझाराम पुत्र कानाराम, 2. भागीरथराम पुत्र कानाराम, 3. पेमाराम पुत्र कानाराम, 4. रामदेवाराम पुत्र कानाराम, 5. कुम्भाराम पुत्र खेमाराम, 6. योगेश पुत्र लक्ष्मीनारायण, 7. पुनित पुत्र लक्ष्मीनारायण, 8. प्रदीप पुत्र लक्ष्मीनारायण, नाबालिग प्रतिवादीगण संख्या 06, 07 व 08 जरिये माता केसर पत्नी लक्ष्मीनारायण, 9. केसर पत्नी लक्ष्मीनारायण, 10. मूलाराम पुत्र झूताराम, 11. पाबुराम पुत्र सांवताराम, 12. उमाराम पुत्र सांवताराम, 13. रामूराम पुत्र सांवताराम, 14. हरलीदेवी पत्नी भागीरथराम, 15. प्रकाश पुत्र श्योजीराम, 16. सुनिता पुत्री श्योजीराम, 17. छोटी पुत्री श्योजीराम, 18. नानी पुत्री श्योजीराम, नाबालिग प्रतिवादी संख्या 16, 17 व 18 जरिये माता कमला पत्नी श्योजीराम, 19. कमला पत्नी पत्नी श्योजीराम, 20. राजुराम पुत्र हरदेवराम, समस्त, जाति-मेघवंशी, निवासी-खाखोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 21. प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-मौलासर, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 22. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-डीडवाना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>

बनाम्

2-2
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 2016/216
 वाद दिनांक 27.11.2015, अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 13.10.2017
 रासुराम बनाम शूरागण, दमैरा।

दादा बाबत घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
 अन्तर्गत धारा-88, 53 व 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री ओमप्रकाश मोट, अधिवक्ता, वादी
2. श्री खांगाराम खिलेरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

-: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 13.10.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद मोजा खाखोली तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 18.04 बीघा, खसरा नम्बर 460 रकबा 05.00 बीघा, खसरा नम्बर 494 रकबा 32.06 बीघा, खसरा नम्बर 616/535 रकबा 12.00 बीघा, खसरा नम्बर 536 रकबा 12.02 बीघा व खसरा नम्बर 432/534 रकबा 05.16 बीघा के घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिनांक 29.06.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक: 1804 दिनांक 10.10.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित विभाजन पर उभयपक्ष सहमत हैं तथा इसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने की इस्तदुआ की गयी है। बन्टवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है तथा इनके द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् सहमत हैं।

अतः तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्त वाद डिक्री सादिर कर सरहद मोजा खाखोली तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 18.04 बीघा, खसरा नम्बर 460 रकबा 05.00 बीघा, खसरा नम्बर 494 रकबा 32.06 बीघा, खसरा नम्बर 616/535 रकबा 12.00 बीघा, खसरा नम्बर 536 रकबा 12.02 बीघा व खसरा नम्बर 432/534 रकबा 05.16 बीघा का बाईमीट्स एण्ड बारपहस से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1804 दिनांक 10.10.2017 में वर्तमानुसार भूमि के पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार कार्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उमरसिंह शेखावत)

सहायक R.A.S. जेटर

सहायक कलक्टर

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को सरे इजलास सुनाया

गया।

(उमरसिंह शेखावत)

सहायक R.A.S. जेटर

सहायक कलक्टर

डीडवाना

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 218/2015

दायर दिनांक 27.11.2015

वादी	प्रतिवादीगण
1. रामुराम पुत्र खेमाराम, उम्र-58साल, जाति-मेघवाल, निवासी-खाखोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. धूडाराम पुत्र कानाराम, 2. भागीरथराम पुत्र कानाराम, 3. पेमाराम पुत्र कानाराम, 4. रामदेवाराम पुत्र कानाराम, 5. कुम्भाराम पुत्र खेमाराम, 6. योगेश पुत्र लक्ष्मीनारायण, 7. पुनित पुत्र लक्ष्मीनारायण, 8. प्रदीप पुत्र लक्ष्मीनारायण, नाबालिग प्रतिवादीगण संख्या 06, 07 व 08 जरिये माता केसर पत्नी लक्ष्मीनारायण, 9. केसर पत्नी लक्ष्मीनारायण, 10. मूलाराम पुत्र इंताराम, 11. पाबुराम पुत्र सांवताराम, 12. उमाराम पुत्र सांवताराम, 13. रामूराम पुत्र सांवताराम, 14. हरलीदेवी पत्नी भागीरथराम, 15. प्रकाश पुत्र श्योजीराम, 16. सुनिता पुत्री श्योजीराम, 17. छोटी पुत्री श्योजीराम, 18. नानी पुत्री श्योजीराम, नाबालिग प्रतिवादी संख्या 16, 17 व 18 जरिये माता कमला पत्नी श्योजीराम, 19. कमला पत्नी पत्नी श्योजीराम, 20. राजुराम पुत्र हरदेवराम, समस्त, जाति-मेघवंशी, निवासी-खाखोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 21. प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-मौलासर, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 22. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-डीडवाना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
	बनाम्

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-88, 53 व 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी दिनांक 13.10.2017
मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश मोट, अधिवक्ता, वादी व श्री खांगाराम
खिलेरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया
जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा खाखोली तहसील
डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 18.04 बीघा, खसरा नम्बर
460 रकबा 05.00 बीघा, खसरा नम्बर 494 रकबा 32.06 बीघा, खसरा
नम्बर 616/535 रकबा 12.00 बीघा, खसरा नम्बर 536 रकबा 12.02 बीघा
व खसरा नम्बर 432/534 रकबा 05.16 बीघा का बाईमीट्स एण्ड
बाउण्ड्स से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर
तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1804 दिनांक
10.10.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।
विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
..-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज
की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के
आज की तारीख 13.10.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	—	—	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी
के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)